

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 58 वीं बैठक दिनांक 29.03.2007 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा सं०	प्रकरण	निर्णय
1	58.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 57 वीं बैठक दिनांक 27.02.2007 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।
2	58.2	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 57 वीं बैठक दिनांक 27.02.2007 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	समिति द्वारा क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
3	58.3	खसरा नम्बर 103, 102/433 ग्राम झालाणा मालवीय राष्ट्रीय तकनीक संस्थान के सामने जे. एल.एन मार्ग पर व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया। प्रार्थी श्री अनिता को समिति द्वारा सुना गया। विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. तीनों बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. प्रार्थी द्वारा तीन बेसमेंट प्रस्तावित किये गये हैं। भवन विनियम की धारा 6.7 के अनुसार तीसरे बेसमेंट की स्वीकृति देने में राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को तीनों बेसमेंट पार्किंग उपयोग हेतु स्वीकृति के लिए भेजा जाये। 5. प्रार्थी द्वारा आच्छादन 42.83 प्रतिशत प्रस्तावित किया है। अतः अधिक आच्छादन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भवन विनियम की धारा 6.7 के तहत भेजा जावे। 6. उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थी से संशोधित मानचित्र 20 मीटर उंचाई व 2.0 एफ.ए.आर. के अनुमोदित कर जारी किये

			जावे। 30 मीटर ऊँचाई बाबत संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जावे।	107
4	58.4	भूखण्ड संख्या-32 सी सुन्दर नगर, जयपुर में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रख नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	
5	58.5	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या जी-6, जी-7, राजमहल जमना लाल बजाज मार्ग, जयपुर।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. प्रार्थी द्वारा स्थल मानचित्र अनुसार संशोधित मानचित्र पेश किये जावेंगे। 5. प्रस्तावित मानचित्रों में एफएआर 1.25 है अतः 1.0 एफएआर के संशोधित मानचित्र लिये जावेगे। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।	
6	58.6	भूखण्ड संख्या-4, इन्द्रा प्लेस, मालवीय नगर, जयपुर में व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। प्रकरण को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।	
7	58.7	भूखण्ड संख्या बी-2, आमेर रोड गोविन्द नगर पश्चिम (11) के पास स्थित भूखण्ड पर होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	बैठक में उपस्थित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया कि इस प्रकरण में राशि बकाया है अतः समिति द्वारा निर्णय किया गया कि राशि जमा कराने के पश्चात् ही निर्णय लिया जावे।	
8	58.8	ख.न. 5545, 5546 एवं 5550 जल महल आमेर रोड, में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदित करने के क्रम में।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. लोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि	

			<p>भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं।</p> <p>4. प्रार्थी से 35 प्रतिशत आच्छादन के संशोधित मानचित्र लिये जावे।</p> <p>5. जविप्रा द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स अनुसार सन्तोषजनक ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>6. भवन का प्रस्तावित निर्माण सीलू के निर्णयानुसार जयपुर स्थापत्य शैली के अनुरूप होगा।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9	58.9	जेडीए फ्लेट्स के समीप व्यावसायिक भूखण्ड (नीलामी) के व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।</p>
10	58.10	भूखण्ड संख्या-3, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर के आवासीय फ्लेट्स के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा प्रार्थी श्री धीरेन्द्र मदान को सुना गया। उपायुक्त जोन-5 द्वारा बताया गया कि प्रकरण में भूखण्ड की राशि शेष है जिसे जमा होने के पश्चात् एवं निम्नांकित की पूर्ति होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> <p>1. लोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।</p> <p>2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे।</p> <p>3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11	58.11	भूखण्ड संख्या-5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. लोअर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।</p> <p>2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे।</p> <p>3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि</p>

			<p>भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं।</p> <p>4. भूतल पर एकसलेटर के पास एमेस्ट्रक्चर की खुली सीढियों को अनुमोदित किया गया।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
12	58.12	जमील मोहम्मद पुत्र श्रीदीन मोहम्मद, डायरेक्टर मुस्कान बिल्डिंग प्रा.लि. प्लॉट नं. 51/105, 52 एवं 53 नीलकण्ठ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. सीलू की बैठक के निर्णयानुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स अनुसार सन्तोषजनक ढंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13	58.13	मैसर्स रिनाईसेन्स बिल्डिंग प्रा.लि. ग्राम किशनपुरा के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी को भूखण्ड का एक पट्टा जविप्रा द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी ने भवन मानचित्र भूखण्ड के तीन हिस्से कर के तीन भागों में मानचित्र पेश किये हैं। तीनों भागों के बीच में प्रार्थी द्वारा 10.67 मीटर +10.67 मीटर सेटबैक दोनों भूखण्डों हेतु छोड़ा है। तीनों भूखण्डों को अलग-अलग नाम आशादीप ग्रीन आर्चिड, आशादीप ग्रीन विस्टा व आशादीप ग्रीन मिडोज से प्रेषित किया है। अतः उप विभाजन शुल्क देय होगा व उपविभाजित मानचित्र जारी होंगे। 2. स्टिप्ट एवं बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 3. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे।

[Handwritten Signature]

			<p>4. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं।</p> <p>5. तीनों भूखण्डों के मानदण्ड भवन विनियम 2000 के अनुसार होंगे व तीनों भूखण्डों में आच्छादन अलग-अलग 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</p> <p>6. तीनों भूखण्डों को 60 फीट की एन्ट्री दी जावेगी यह सुनिश्चित कर लिया जावे।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
14	58.14	भूखण्ड संख्या 158, श्रीराम विहार जगतपुरा में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
15	58.15	वेदांग कॉलोनाईजर्स प्रा.लि. हेतु खसरा नम्बर 304, 305, 306 चक गेटोर में आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
16	58.16	भूखण्ड संख्या 157, श्रीराम विहार जगतपुरा में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे।

			<p>3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
17	58.17	खसरा नम्बर 59 से 63 ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर एवं बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. बेसमेंट में क्लब अनुज्ञेय किये जाये परन्तु इसे एफएआर में शामिल किया जावे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
18	58.18	खसरा नम्बर 730, 730/804, 731 से 737, 740, 725, 726, 728, 729, 597, 617, 618, 619 ग्राम महल, तहसील सांगानेर, महिमा पैनोरमा में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। प्रार्थी श्री धीरेन्द्र मदान द्वारा समिति को सर्वे मानचित्र पर 5 प्रतिशत फेसिलिटी क्षेत्र में भूखण्ड से लगती हुई स्कीम में से एक एक्जिस्टिंग सड़क दिखाई। यह सड़क भूखण्ड से लगती हुई थी परन्तु 5 प्रतिशत फेसिलिटी एरिया को नहीं छू रही है। अतः यह निर्णय लिया गया कि फेसिलिटी क्षेत्र में 40 फीट चौड़ी स्वतंत्र एप्रोच मिल जाये यह सुनिश्चित कर लिया जाये और जोन द्वारा पुनः संशोधित स्थल मानचित्र जारी किया जावे एवं प्रकरण में निम्नांकित निर्णय भी लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर एवं बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. बेसमेंट में क्लब अनुज्ञेय किये जाये परन्तु एफएआर में शामिल किया जावे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
19	58.19	भूखण्ड संख्या सी-2, लॉट्स विला ज्ञान विहार इन्जीनियरिंग	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र</p>

		कॉलेज के पास पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. भूखण्ड की एन्ट्री 30 फीट सडक से नहीं होगी। 5. पार्किंग की गणना व्यावसायिक मानदण्ड से ही होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
20	58.20	भूखण्ड संख्या जीएच-3, लोट्स विला ज्ञान विहार इन्जीनियरिंग कॉलेज के पास पर आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. भूखण्ड की एन्ट्री 30 फीट सडक से नहीं होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
21	58.21	मैजेस्टिक प्रोपर्टीज प्रा0लि0 के खसरा नम्बर 1259 से 1269, 1258/280, 1260/2677, 1267/2898 ग्राम भांकरोटा के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त की जावे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
22	58.22	खसरा नम्बर 180, 182 से 187, 189 से 194 ग्राम केशोपुरा सुधा विहार, तहसील	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p>

		सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर एवं बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त की जावे। 5. मौके पर 11 केवी की एचटी लाइन हटवानी होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
23	58.23	खसरा नम्बर 512/1 व 513 ग्राम जयसिंह पुरा बास ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर, जयपुर में फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
24	58.24	खसरा नम्बर 98, 101, 102, 105/2, 118, 122 से 125 129, 119, 117, 120, 121 ग्राम फागोडियावाला, तहसील सांगानेर में विद्यालय के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि भवन विनियम की धारा 4 में कोई भी भवन निर्माण बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रकरण में बीपीसी द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखा गया।</p>
25	58.25	खसरा नम्बर 47 बीड हाथेज के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।

			उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
26	58.26	खसरा नम्बर 102(पुराना) 188 (नया) ग्राम कूकस में व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को स्थगित रखा गया आगामी बैठक में पुनः रखा जावे।
27	58.27	आर-1, नन्दन ऐन्क्लेव खसरा नम्बर 18, 75, 76, 77, ग्राम मुरलीपुरा के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. गेसमेंट में प्रस्तावित गार्किंग को जयिप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. पार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
28	58.28	मूखण्ड संख्या 5, जमना लाल बजाज मार्ग सी-स्कीम में आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रख नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया			
29	58.29	जी-4, जी-5, ग्राम बोयतावाला रेल्वे स्टेशन के पास अमन एनक्लेव के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण पार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।

			<p>2. प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन हो चुका है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>	125
30	58.30	जी-2, ग्राम बोंयतावाला रेल्वे स्टेशन के पास अमन एनक्लेव के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन हो चुका है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 	
31	58.31	गुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 2013/2946, 2013, 2054, ग्राम भांकरौटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी</p>	

व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।
2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।
4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
6. खसरा नम्बर 2013 पर स्टे है अतः यह खसरा स्कीम में से हटाया जावे।

32	58.32	<p>युप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 2057, 2059, 2060, 2070 ग्राम भांकरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र
----	-------	---	--

			<p>अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p> <p>2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
33	58.33	खसरा नम्बर 37 से 41, 43/1, ग्राम महल के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण हो चुका है व राज्य सरकार को पत्र दिनांक 26.03.2007 को भेज दिया गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर</p>

राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

180

34 58.34 ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 119, 122, 123मि. 140, 136, 150मि., 174/2162, 134मि., 135मि., 132, 133मि., 137, 141, 143, ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत

प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।
2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 19.03.2007 को हो गया है।
3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

35 58.35 ग्रुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 296, 300, 301, 306 ग्राम असरपुरा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक

			<p>है) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है अतः मानचित्र अनुमोदन किये जावे।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>	181
36	58.36	सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-8, में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग</p>	

			ले लिया जावे।
37	58.37	खसरा नम्बर 468, 471, ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित युप हाउसिंग (फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
38	58.38	खसरा नम्बर 3 से 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र

			<p>अनुमोदित कर जारा। किये जावंग।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
39	58.39	<p>खसरा नम्बर 473 से 477, 468, 471, ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित थुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
40	58.40	<p>थुप हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 108 से 110, 112 से 114, 120, 121, 125 से 130 ग्राम जयसिंहपुरा बास सांगानेर</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र</p>

	<p>जयपुर (जीएच-3) के अनुमोदन के संबंध में।</p>	<p>जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
41	<p>58.41 युप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 2070, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086 ग्राम भांकरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक

		<p>6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
42.	58.42	<p>ग्रुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 135, 139 ग्राम भांकरोटा में प्रस्तावित मयन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग

43	58.43	खसरा नम्बर 397, 398 ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
44	59.44	गुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2531, 2532 ग्राम भांकोरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र

अनुमोदित कर जारा (किस जावग)।

2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।
4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

45 59.45 युप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 190/2710, 191, 192, 194 ग्राम मांकरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।
2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।
4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

			<p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
46	59.46	<p>जी-1, ग्राम बोयतावाला, सीकर रोड, तहसील जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जायेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
47	59.47	<p>खसरा नम्बर 31, 380, 385, 533, 535 से 540, 543, से 547, 516, 517/3684, 516/3685 ग्राम सिरोली गोनेर तहसील सागानेर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन

			<p>अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>189</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. योजना का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली पर किया जा चुका है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
48	59.48	<p>ग्रुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 1996 से 2001, 2012 ग्राम भांकरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

			<p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
49	59.49	जी-3, अमन एनक्लेव, नियर निदंड वैनाड, रेल्वे स्टेश जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 19.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
50	59.50	सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-5, में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन

			<p>अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>19/</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
51	58.51	खसरा नम्बर 169, ग्राम महल में ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 20.12.2006 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
52	58.52	ग्रुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 61, 62, 63, 64, 81,	प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में

		<p>02, 03, 05, ग्राम चाउपास न प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>अनापत्ति छूट के जर्जरा आता है सागरा को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जॉन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जॉनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
53.	58.53	<p>खसरा संख्या 695/2, 697/3 व 699 ग्राम जयसिंहपुराबास, भांकरोटा, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जॉन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक

		<p>हा) प्राप्त हान पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर जावेगें।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 24.02.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>	193
54	58.54	<p>गुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 3010/1994, ग्राम भांकरोटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें।</p> <p>2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>	

	58.55	<p>532/1, 533/1, 543/1, 544 ग्राम जयसिंहपुराबास ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर में ग्रुपहाउसिंग फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 24.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मान्त्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवावेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
56	58.56	<p>सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-4, में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।

2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006. को हो गया है।
3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

195

57	58.57	<p>खसरा नम्बर 552/1, 552/1084, 558 ग्राम जयसिंहपुराबास, भांकरोटा जयपुर में ग्रप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक. 05.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
58	58.58	<p>खसरा संख्या 90, 123/35, 214, 124/327, 125, 126 ग्राम टांडीरमजानीपुरा, जगतपुरा में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो</p>



	बाबत	<p>सका व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाय गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 26.03.2007 को आ चुकी है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
59	53.59 खसरा नम्बर 199, 200, 200/291, ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, टॉक रोड, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. राज्य सरकार को पत्र दिनांक 16.03.2007 को भेजा गया। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को

			<p>गोप्य दस्तावेज है। प्रकृति व संरक्षण विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांचे जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
60	58.60	<p>ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 924, 954, 959, 950, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 927, 928/1, 928/3, 924/4, 930/2, 931/2, 932/2, 932/3, 918, 948, 949, 951, 952, 953, 945/2 ग्राम जयसिंहपुरा बास भोंकरोटा, सांगानेर जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।(जीएच-5)</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो यह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
61	58.61	<p>खसरा नम्बर 32, 33, 34, 35/1, 35/2, ग्राम गजसिंहपुरा अजमेर रोड पर आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जयिप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।

			<p>2. आग्न सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारा र लिया जावे।</p> <p>3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है।</p> <p>4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति ली जावे।</p> <p>5. मौके पर स्थित 11 के.वी की दो एचटी लाईन हटाने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जावेगे।</p> <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
62	58.62	<p>खसरा नम्बर 174 व 175 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 15.12.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
63	58.63	<p>सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-3, में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो</p>

			<p>सर्की व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
64	58.64	<p>खसरा नम्बर 305, 304/375, 293/2, 293/1, 295, 273 ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित युप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 04.11.2006 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

			जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
65	58.65	खसरा नम्बर 180/378 एवं 184, ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग (फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को नान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
66	58.66	खसरा नम्बर 169, 179, 180, 181, 190, 1'91, ग्राम नानकपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत

			<p>करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
67	58.67	खसरा संख्या 666/667, ग्राम जीरोता, तहसील सांगानेर, जयपुर में गुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1.जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2.प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है ।</p> <p>3.स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4.मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>

68	58.68	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 71, 75ए, 75, 76, 77 एवं 21 गिरनार कॉलोनी स्कीम नं.-8, जयपुर में व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। प्रकरण को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
69	58.69	भूखण्ड संख्या जीएच-1 ब्लॉक बी ग्राम श्रीरामपुरा, मालपुरा रोड, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग (फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 15.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अपडेटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अपडेटेकिंग ले लिया जावे।
70	58.70	सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-2, में आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के

			<p>पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
71	58.71	सनसिटी टाउनशिप, ग्राम नींदड, सीकर रोड पर गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 19.03.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर</p>

			राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
72	58.72	खसरा नम्बर 107, ग्राम उदयपुर गिलारिया, तहसील सांगानेर में ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मांत्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
73	58.73	भूखण्ड संख्या एस-19, सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा में ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जयिप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
74	58.74	खसरा नम्बर 19 से 25, 98 से	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार

		101, 104से 108, 117 ग्राम मदरामपुरा में ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर एवं लोअर बेसमेंट बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जयिप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति ली जावे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
75	58.75	खसरा नम्बर 602, 603, 604, 605/3, 604/4, 619/2, ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग (प्लेटस) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जयिप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनापत्ति ली जावे। 5. मौके पर स्थित 11 केवी की एचटी लाईन व एयरटेल टॉवर हटने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जावेगे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
76	58.76	सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-7, में आवासीय प्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जॉन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उद्भयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो)

एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें।

2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है।

3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जाये।

4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

77 58.77 गुप हाउसिंग योजना खसरा नमबर 20 ग्राम बाड मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

प्ररनगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचें भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें।

2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 28.03.2007 को हो गया है।

3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

78 58.78 पुनर्गठित भूखण्ड 2बी एवं 2 सी जगतपुरा रोड, जयपुर पर

समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र

		होटल के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. प्रार्थी द्वारा तीन बेसमेंट प्रस्तावित किये गये हैं। भवन विनियम की धारा 6.7 के अनुसार तीसरे बेसमेंट की स्वीकृति देने में राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को तीनों बेसमेंट पार्किंग उपयोग हेतु स्वीकृति के लिए भेजा जाये। 5. प्रस्तावित भवन ऊँचाई बाबत एयरपोर्ट अधोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही भवन मानचित्र जारी किये जावेगे। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
79	58.79	भूखण्ड संख्या 13 व 14 कोस्मों कोलोनी के पुनर्गठन एवं यदि पुनर्गठन अनुमोदित हो तो पुनर्गठित भूखण्ड पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए है। 4. योजना में एफएआर 1.2 देय है परन्तु व्यावसायिक में एफएआर 1.75 देय है अतः अन्तर एफएआर का नियमानुसार राशि ली जावेगी। 5. 30 फीट की सड़क पर भूखण्ड की एन्ट्री नहीं होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
80	58.80	खसरा नम्बर 1230, 1231, 1231/1841, 1231/1843, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये</p>

		अनुमोदन बाबत।	<p>दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 09.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे।
81	58.81	<p>खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025/1112 ग्राम जयसिंहपुरा दास भांकरोटा तहसील सांगानेर, गुप्त हाउसिंग के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.02.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे।

			<p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
82	58.82	<p>मूखण्ड संख्या गुप हाउसिंग, मंगलम सिटी कालवाड रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 06.03.2005 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
83	58.83	<p>खसरा नम्बर 9, 10, 18 ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन

(जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।

2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 04.11.2006 को हो गया है।
3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

84 58.84 खसरा नं. 159, 161 से 165, 167, 169 ग्राम मुरलीपुरा तहसील सांगानेर में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।
2. प्रकरण में राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 26.03.2007 को आ चुकी है।
3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

85	58.85	खसरा नम्बर 363 ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर में ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदित करने के क्रम में।	उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रखा गया।
86	58.86	निजी खातेदारी ग्रुप हाउसिंग एकजायी भूखण्ड ग्राम भांकरोटा/चमनपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर में द्वितीय चरण के आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. लोअर बेसमेंट अपर बेसमेंट एवं स्टिक्ट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति ली जानी होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
87	58.87	ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 822, 823, 844 से 857 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, सांगानेर जयपुर (जीएच-4) के अनुमोदन के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 2. बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।

			<p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
88	58.88	<p>खसरा नम्बर 51/1/1 ग्राम गोकुलपुरा कालवाड रोड, जयपुर में ग्रुप हाउसिंग (फ्लेट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. राज्य सरकार को पत्र दिनांक 18.12.2006 को भेज दिया गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
89	58.89	<p>ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 159, 159/1087, 158, 158/1122 ग्राम जयसिंहपुरा बास भोंकरोटा, सांगानेर जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।(जीएच-1)</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p>

			<p>1. जॉन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित है उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जॉनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
90	58.90	सिरसी रोड स्थित फनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-8, में आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दरतावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जॉन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जॉनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य</p>

213



			<p>हागा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
91	58.91	सिरसी रोड स्थित कनक वृन्दावन भूखण्ड संख्या जी-1. में आवासीय प्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 12.10.2006 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
92	58.92	ग्रुप हउसिंग योजना खसरा नम्बर 130 से 135, 147, 153, 154, 155, 156, ग्राम जयसिंहपुरा सांगानेर जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।(जीएच-2)	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत

			<p>करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p> <p>2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित है उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।</p> <p>3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है।</p> <p>4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
93	58.93	निजी खातेदारी भूखण्ड ग्राम गणपति पुरा तहसील सांगानेर में आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लोअर बेसमेंट अपर बेसमेंट व स्टिल्ट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति ली जानी होगी। <p>उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
94	58.94	खसरा नम्बर 251, 259, 261 ग्राम दांतली, गोनेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श</p>

			<p>पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.03.2007 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
95	58.95	खसरा नम्बर 108/662, 120, 121, 122. ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील सांगानेर, जयपुर।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अयगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. उपायुक्त जोन की रिपोर्ट के अनुसार जोनल स्तरीय समिति की बैठक हो चुकी है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्ण्डरटेकिंग ले लिया जावे।

216

			4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
96	58.96	खसरा नम्बर 188, ग्राम रामसिंह उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग (फ्लैट्स) के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट पलोर एवं बेसमेंट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लिया जावे। 3. प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथ पत्र लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान किये गए हैं। 4. भूखण्ड से 11 केवी की एचटी लाईन गुजर रही है उसके हटवाने के पश्चात् ही भवन मानचित्र जारी किये जावेगे। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
97	58.97	खसरा नम्बर 348, 350 350/777, 351, 351/780, 352/778, 352 से 363, 430 से 436, 366, 367, 435/783, 434/784, 433/785, 432/786, 431/787, 430/788 ग्राम हाजियावाला में ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्ररगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित हैं उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि

			<p>मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>5. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
98	58.98	सनराईज सिटी, निवारु रोड के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेगें। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 27.12.2005 को हो गया है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
99	58.99	खसरा नम्बर 660, 661, 661/4641, 665 ग्राम खो-नागोरियान, तहसील सागानेर, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के

			<p>पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. राज्य सरकार को पत्र दिनांक 27.02.2007 को भेजा गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
100	58. 100	खसरा नम्बर 1724, 1725, एव 1726 ग्राम भांकरोटा अजमेर रोड जयपुर पर प्रस्तावित गुप्त हाउसिंग फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 02.03.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>

101	58. 101	खसरा नम्बर 669, 675, 677, 672, 664, 676, ग्राम मोटूकाबास, तहसील आमेर, सीकर रोड, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग (फ्लैट्स) ईडन गार्डन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. योजना का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) 21.03.2007 को हो चुका है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अपडेटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अपडेटेकिंग ले लिया जावे।
102	58. 102	जीएच-1, ग्राम बुद्धसिंहपुरा सांगानेर, जयपुर में गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण नीलामी द्वारा आवंटित है। पट्टा जारी होना

			<p>शेष है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
103	58. 103	खसरा नम्बर 896, 987, 898 ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा सांगानेर (स्वर्ण भूमि टाउनशिप) के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।</p> <p>2. प्रकरण में राज्य सरकार को पत्र दिनांक 23.03.2007 को प्रेषित किया गया।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
104	58. 104	आयकर अधिनियम की धारा 80 IB के लाभार्थ बिना अग्निशमन अनापत्ति के भवन मानचित्र जारी करने बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को निरस्त किया गया।</p>
105	58.	खसरा नम्बर 682 से 687 ग्राम	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में</p>

105	जयसिंह पुरा बास भाकरोटा जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है अतः मानचित्र अनुमोदन किये जावे। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
108	58. खसरा नम्बर 457 से 462, 106 463, 466 से 477, 487 ग्राम जयसिंह पुरा सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।

			<p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है अतः मानचित्र अनुमोदन किये जावे।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
107	58, 107	खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414 ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है अतः मानचित्र अनुमोदन किये जावे। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अप्पडरटेकिंग ले लिया जावे।
108	58, 108	ग्रुप हाउसिंग योजना, खसरा नम्बर 2059, 2060, 2070, 2057, 2058, 2747 ग्राम	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत</p>

223

	<p>भांकरौटा में प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. बीपीसी (एल पी) की बैठक दिनांक 6-7/12/2005 में जो भी शर्तें अंकित है उन शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 26.11.2005 को हो गया है। 4. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे। 5. मान्त्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अपडरटेकिंग ले लिया जावे।
<p>109 58. 109</p>	<p>खसरा नम्बर 199, 198, 189, ग्राम महल जयपुर सैम्बिन स्वायर डवलपर्स प्रा.लि. जयपुर व जयपुर बिल्डटेक प्रा.लि.</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड्डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे।

			<p>2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 28.03.2007 को हो गया है।</p> <p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
110	58. 110	अनोखी विल्डस्टेट प्रा.लि. ख. न. 462 ग्राम जैपुरा तहसील सांगानेर के प्रस्तावित गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशमन अनापत्ति व उड़डयन विभाग की अनापत्ति (जहां भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. जयिप्रा द्वारा दिनांक 18.05.2006 को लीजडीड जारी की जा चुकी है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।
111	58. 111	खसरा नम्बर 95, 96, 97, 93/1078 ग्राम नगरियावाला तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित गुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो</p>

		<p>बाबत।</p>	<p>सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. अध्यक्ष महोदय जविप्रा से पत्रावली पर स्वीकृति प्राप्त है पत्रावली चारों कम्पनियों को संयुक्त रूप से लीजडीड जारी किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ आयुक्त महोदय को प्रेषित है। 3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जाये। 4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जाये।
112	58. 112	<p>खसरा नम्बर 808 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरेटा जयपुर के प्रस्तावित भवन ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 IB में अपेक्षित छूट के अंतर्गत आता है समिति को अवगत करवाया गया कि इन प्रकरणों में पट्टा एवं स्थल मानचित्र जारी नहीं हैं। जिनके कारण मौका रिपोर्ट भी नहीं हो सकी व तकनीकी परीक्षण प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया गया अतः विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन द्वारा पट्टा व स्थल मानचित्र जारी करने के पश्चात् व स्थल मानचित्र के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने व 15 मीटर से ऊँचे भवनों में अग्निशामन अनापत्ति व उड़ड़यन विभाग की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) एवं राज्य प्रदूषण मण्डल की अनापत्ति (जहाँ भी आवश्यक हो) प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावेंगे। 2. प्रकरण में जोनल स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण दिनांक 29.03.2007 को हो गया है।

			<p>3. स्थल मानचित्र व पट्टा जारी होने के पश्चात् यदि मानचित्रों में कोई परिवर्तन होगा तो वह प्रार्थी को मान्य होगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p> <p>4. मात्र पत्र जारी होने के पश्चात् यदि स्थल मानचित्रों में परिवर्तन के कारण कोई अंतर आता है तो प्रार्थी अंतर राशि जमा करवायेगा इस बाबत् प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले लिया जावे।</p>
113	58. 113	अम्बेडकर सर्किल पर बन रहे दो व्यावसायिक भूखण्डों किस्टल पॉम व एम.जे.एफ मॉल के बाबत्।	<p>अम्बेडकर सर्किल पर बन रहे दोनों व्यावसायिक भवनों के प्रार्थी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों प्रार्थियों ने निवेदन किया कि उनके द्वारा संशोधित मानचित्र जविप्रा को प्रेषित कर दिये गये है। मौके पर निर्माण संशोधित मानचित्रों के अनुरूप है व भवन विनियम के अनुसार ही है।</p> <p>समिति द्वारा आयुक्त महोदय को अधिकृत कर दिया कि पत्रवली पर दोनों ही भूखण्डों की जांच कर निर्णय लिया जावे।</p>
		नीतिगत निर्णय 30 फीट की चौड़ी सडक के विषय में	<p>समिति द्वारा विचार किया गया कि 30 फीट चौड़ी सडकों पर फ्लेट्स बनने से यातायात का दबाव व प्रदूषण बढ़ जाता है। अतः 30 फीट की चौड़ी सडक पर जब तक प्राधिकरण की बैठक द्वारा गठित भवन विनियम की समिति द्वारा निर्णय नहीं हो जाता तब तक 30 फीट की सडकों पर फ्लेट्स का अनुमोदन नहीं किया जावे। 30 फीट की सडको पर फ्लेट्स के भूखण्डो की एन्ट्री भी अनुज्ञेय नहीं की जावे।</p>

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

22/

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी)
जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 58वीं बैठक दिनांक 29.03.2007 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

228

1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक	सदस्य
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक	सदस्य
4. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6. श्री ज्ञाना राम अति. आयुक्त. (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
7. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त, (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
8. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
9. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :-

1. श्रीमती रश्मि गुप्ता, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भाग चन्द बघाल, जोन-3, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री महेन्द्र कुमार पारेख, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री देवाराम सैनी, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री गिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7 जविप्रा, जयपुर।
8. श्री लेखराज तोषवाडा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री भगवान सहाय शर्मा, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री कष्ठावतार त्रिवेदी, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री अरुण गर्ग, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री इन्दर सिंह सोलंकी, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
14. श्री अनन्त देव टॉक, उप नगर नियोजक, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)

दिनांक : 30/3/07

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2007/डी-515

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी., जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।